Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

A.11018/22/2015-MH II

(G.A. Raghuvanshi)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i)में प्रकाशनार्थ)

भारतसरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख : 2017

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल,नई दिल्ली में स्वास्थ्य निरीक्षकके पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल,नई दिल्ली,स्वास्थ्य निरीक्षक भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन:**इन नियमों की अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पद पर भर्ती किए गए व्यक्तियों, जिन्हें इन नियमों के आरंभ से पूर्व सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था,को इन नियमों के तहत नियुक्त किया हुआ समझा जाएगा और उनके द्वारा उस पद पर नियमित आधार पर की गई सेवा की गणना परिवीक्षा, पुष्टि और पैंशन के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण,पे-मेट्रिक्स में लेवल**- उक्त पदकी संख्या, उसका वर्गीकरण और पे-मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएंआदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वास्थ्य निरीक्षक	03*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित,अनन्ुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400) में लेवल-6	लागू नहीं होता।	30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वाराजारी किए गए अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसारसरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक छूट दी जा सकती है) नोट:आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप औरलक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंप्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा (iii) जन स्वास्थ्य संबंधी संस्था, अधिमानत: किसी अस्पताल, में काम करने का एक वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या शोध संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल कैडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में लेवल 5 में उस ग्रेड में नियुक्ति के बाद छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;और (ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव अनुभव रखते हों। **अनिवार्य:** <u>टिप्पण 1</u>: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <u>टिप्पण 2</u>: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <u>टिप्पण 3</u>: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1

	जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक - अध्यक्ष 2. स्वच्छता के प्रभारी विभागाध्यक्ष - सदस्य 3. उप निदेशक, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य 4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी उप निदेशक- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[ए.11018/22/2015-एमएच-II]

(जी. ए. रघुवंशी)
अवर सचिव, भारत सरकार